

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक-5709 दिनांक-19.09.2019 द्वारा National Health Policy, 2017 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रम को गुणवत्तायुक्त बनाने हेतु नर्सिंग पाठ्यक्रम में नानांकन में एक मात्र स्त्रोत बी०एस०सी० (नर्सिंग) निर्धारित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में जी०एन०एम० प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2020-21 तक Phase out करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-125 (HSN) दिनांक-21.04.2020 द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के निदेश एवं झारखण्ड राज्य में स्थापित नियमों के अधीन जी०एन०एम० पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:-

1. जी०एन०एम० पाठ्यक्रम के लिए संस्थानों में नानांकन का अंतिम सत्र, 2020-21 होगा। अर्थात् सत्र 2021-22 से जी०एन०एम० पाठ्यक्रम में नानांकन नहीं होगा।
2. सत्र 2020-21 के उपरान्त जी०एन०एम० पाठ्यक्रम हेतु मान्यता/अवधि विस्तार नवीकृत नहीं किया जा सकेगा।
3. नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-04 के उपनियम-11 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार जी०एन०एम० संस्थानों की स्थापनों की स्थापना के लिए सत्र, 2020-21 के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी और वही सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

पुनः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिचर्या प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक- 7.28015/73/2016-N दिनांक-09.10.2020 द्वारा जी०एन०एम० प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2020-21 तक Phase out करने के प्रस्ताव को तत्काल स्थगित कर दिया गया है।

भारत सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-125 (HSN) दिनांक-21.04.2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(डी० नितीन कुलकर्णी)

सरकार के प्रधान सचिव।

रांची/दिनांक :- 18/1/21

ज्ञापक : 10/विधि-09-01/2017 (खण्ड-1) - 8 (10)

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी (ई-गजट), स्वास्थ्य, चि०शि० एवं प० क० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/1/21
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक : 10/विधि-09-01/2017 (खण्ड-1) - 8 (10)

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं प० क० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/1/21
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 10/नर्सिंग-10-33/2018 - 8(10) संची/दिनांक :- 18/1/21
प्रतिलिपि: उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवर्षा प्रभाग), भारत सरकार, संयुक्त सचिव, भारतीय
उपचर्या परिषद, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nand Kumar
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 10/नर्सिंग-10-33/2018 - 8(10) संची/दिनांक :- 18/1/21
प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख-सह-अध्यक्ष, झारखण्ड परिचर्या निबंधन परिषद, राँची/निदेशक/अधीक्षक, रिम्स,
राँची/प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/एम0जी0एम0 मेडिकल
कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर/शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/फुलो-झानो
मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका/मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पलामू/सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड/सभी उपायुक्त/सभी अपर सनाहर्ता, झारखण्ड/कार्यपालक अभियंता (भवन निर्माण विभाग),
झारखण्ड/ निबंधक, झारखण्ड राज्य नर्सिंग परिषद, रिम्स कैम्पस, राँची/सभी प्राचार्य, जी0एन0एम0 स्कूल,
झारखण्ड/सभी सदस्य, झारखण्ड परिवारिका निबंधन परिषद नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, झारखण्ड को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nand Kumar
सरकार के प्रधान सचिव।